

बस एक क्लिक में कंपनियों का सालाना बहीखाता होगा सामने

डेली न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। अब देश की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने आय व्यय का लेखा जोखा छिपा नहीं सकेंगी। किसके पास कितनी संपत्ति है, किसने कितना रुपया कमाया और कहां पर अपना पैसा लगाया, किस मद में व्यय किया गया। यह सब कुछ बस एक क्लिक से संभव होगा। कौन कालेधन की बचत कर कहां लगा है, इसकी भी पूरी



● कालेधन को बढ़ावा देने और गड़बड़ियां करने वाली कंपनियां आएंगी पकड़ में

जानकारी होगी।

फिलहाल इसके लिए भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि अब कॉस्ट ऑडिट और कंप्लायंस रिपोर्ट एक्सबीआरएल ईफाईल से ही भेजी जाएगी। यह बात मंगलवार को द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के आयोजित तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला में गोमतीनगर स्थित सीएमए भवन में सीएमए के अध्यक्ष राकेश सिंह और विजंदर शर्मा ने

कही। उन्होंने कहा कि बिना कॉस्ट आडिट और कंप्लायंस रिपोर्ट एक्सबीआरएल ईफाईल के भेजने पर सालाना बहीखाता मान्य नहीं होगा। जो कंपनियां अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग बहीखाता बनाकर अपने पैसे को इधर-उधर करने का काम करती हैं और कालेधन को बढ़ावा देती हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। बताया कि गलत रिपोर्ट फाइल करने पर, इस साफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत पकड़ में आ जाएगा। कंपनियों के पिछले साल के फाइनैशियल वर्ष और नए फाइनैशियल वर्ष में कहां पर गड़बड़ियां की गई हैं, यह तुरंत पकड़ में आ जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल देश और प्रदेश की सभी कंपनियों को 31 दिसंबर 2012

तक का समय कॉस्ट ऑडिट और कंप्लायंस रिपोर्ट एक्सबीआरएल ईफाईल से ही भेजने के लिए दिया गया है। इसके बाद जो कंपनियां इसे कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर से नहीं भेजेंगी, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी।

इससे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत साकार की मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स के सलाहकार बीएल गोयल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रशिक्षण कार्यशाला में सुनील सिंह, विकास श्रीवास्तव, सीमा सिंह, पवन तिवारी, अंजना चट्टा, विनीत श्रीवास्तव, सौरभ बहादुर, मनोज मिश्रा, आईसीएआई और सीएमए के सदस्यों सहित तमाम लोग मौजूद रहे।